**अपील सूचना अधिकार संख्या 154/2020 (GCMS 2020/00274) नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह, वार्ड नं 19, तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 88750–89377) बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**03.02.2021**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित हुआ उसने न्यायालय की पत्रावली के हाशिये पर हस्ताक्षर करने से मना किया और कहा कि उसने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को दिनांक 22.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

**मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो** पाया कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से से निम्न सूचना चाही थी :

> श्रीमान्जी जिला कलक्टरजी द्वारा 08.09.2020 को मण्डी रायसिंहनगर के उपखण्ड अधिकारी को पालना हेतु आदेश पारित किया था।
>
> आप द्वारा आदेशों की पालना में नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा दिये गये कूट रचित दस्तावेज के नक्शे में यह नहीं लिखा गया।
>
> 1. पत्र क्रमांक 2. हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 3. 1930 आप (अर्पिता सोनी) द्वारा इन बिन्दुओं [illegible] में अंकित करने बाबत जो कार्यवाही की [illegible] उसकी प्रमा[illegible] प्रति (2) 15 माह का लगाया गया की प्रमाणित प्रति [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर से होन के कारण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/20/1594 दिनांक 27.10.2020 से पत्र उन्हें स्थानान्तरित कर दिया। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 1382—83 दिनांक 12.11.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना बिन्दुवान निम्न प्रकार से है :

| क्र. सं. | चाही गई सूचना का विवरण | प्रतिउत्तर |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी को आदेश पारित किया था आप द्वारा आदेशों की पालना में नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा दिये गये कूट रचित दस्तावेज के नक्शे में यह नहीं लिखा गया। 1. पत्र क्रमांक 2. हस्ताक्षर के नीचे दिनांक | जैसा नक्श था, उसकी प्रति आपको प्रमाणित करने उपलब्ध करवा दी गई। नक्शे की प्रति पर क्रमांक नहीं दिया जा सकता है। पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया गया था। |
| 2 | 1930 आप अमित सोनी द्वारा की गई नियमानुसार जांच की प्रमाणित प्रति। | अमित सोनी द्वारा की गई जांच की प्रति पालिका में उपलब्ध नहीं है। |

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रायसिंहनगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:24 IST
Reason: SelfAttested

**चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2020** के सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा दिनांक 12.11.2020 से प्रार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैं। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, से है और नगरपालिका के विरूद्ध **प्रथम अपील की सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिकृत नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि चाहे तो अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका की सूचना से अप्रसन्न हो तो नगरपालिका के सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

**अतः उक्त विवेचन** अनुसार अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 03.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(महावीर प्रसाद वर्मा)**
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:24 IST
Reason: SelfAttested